## न्यायालय भरण पोषण अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी), चूरू
## पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई०ए०एस०

| नम्बर मुकदमा | क़िस्म मुकदमा | दायरा तिथि | आदेश तिथि |
|---|---|---|---|
| 02/2020 | धारा 20(5), 21 भरण पोषण अधिनियम | 24.01.2020 | 02.03.2021 |

विमलादेवी पत्नी स्व. सांवरमल जाति सैन उम्र 72 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 28 खेमका सती मन्दिर के पास, चूरू मो. 8104234656

—प्रार्थिया—

बनाम

रतनलाल पुत्र मुरारीलाल जाति सैन निवासी वार्ड संख्या 28, खेमका सती मन्दिर के पास, चूरू

—अप्रार्थी—

**प्रार्थना पत्र धारा 20 (5), 21 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007**

**आदेश**

प्रार्थिया विमलादेवी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (5), 21 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया खेमका सती मन्दिर, वार्ड संख्या 28, चूरू तहसील व जिला चूरू की मूल निवासी है। प्रार्थिया की उम्र 72 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थिया वरिष्ठ नागरिक है जो वृद्ध हो चुकी है। इस कारण कमाने की क्षमता भी धीरे धीरे छीन हो गई है। शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण घरेलु कार्य व अन्य कार्य करने में भी असमर्थ हो गयी है। प्रार्थीया के पास आय का कोई साधन नही है। प्रार्थीया के पास केवल मात्र रहने के लिए वार्ड संख्या 28, में स्वयं के हिस्से में बंटवारानामा (विभाजन पत्र) आया हुआ है। यह कि संख्या 28, चूरू में प्रार्थीया का स्वयं का पुराना रिहायशी मकान स्थित चला आ रहा है। जिसका विभाजन पत्र दिनांकित 04.10.2017 संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिसमें प्रार्थीया शुरू से ही इसी घर में लगातार रिहायश करती चली आ रही है। प्रार्थीया के अन्य कोई रिहायश करती चली आ रही है। प्रार्थीया के अन्य कोई रिहायश हेतु मकान नही है, जिसमें प्रार्थीया रिहायश कर सके। यह कि प्रार्थीया के दो पुत्र है जिनमें से एक बड़ा पुत्र बम्बई व छोटा पुत्र जयपुर कार्य करता है जो दोनो ही प्रार्थीया के साथ नहीं रहते है व एक पुत्री है जिसका नाम पुजा है मेरी पुत्री का विवाह 20.06.2002 को अप्रार्थी रतनलाल पुत्र मुरारीलाल के साथ सम्पन्न हुआ था। जिसके पश्चात मेरी पुत्री को अप्रार्थी के परिवारजनो द्वारा तंग व परेशान किया जाने लगा जिस पर प्रार्थिया की पुत्री द्वारा उक्त बात प्रार्थीया को बताई तो प्रार्थीया ने अपनी पुत्री पूजा व उसके पति को प्रार्थीया के घर में रहने के लिए कहा जिस पर प्रार्थी की पुत्री व उसका पति रतनलाल प्रार्थीया के घर में निवास करने लगे। परन्तु उसके पश्चात भी प्रार्थीया की पुत्री को अप्रार्थी द्वारा तंग परेशान करना जारी रखा जिससे कुछ समय पश्चात प्रार्थीया की पुत्री पुजा की मुत्यु वर्ष 2009 में हो गई। जिसके पश्चात से प्रार्थीया का जंवाई प्रार्थीया के [illegible]

यह कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी [illegible] निवेदन करने और कहने पर भी अप्रार्थी ने प्रार्थीया के उक्त मकान को [illegible] प्रार्थीया के फर्जी हस्ताक्षर कर पानी व विद्युत कनेक्शन [illegible] करवाकर अपने नाम से जल व विद्युत कनेक्शन करवा लिये गये। यह कि प्रार्थीया के स्वयं के मकान पर अप्रार्थी ने जबरन [illegible] कर रखा है तथा प्रार्थीया को दर दर की ठोकर खाने हेतु मजबूर [illegible] दिया है। प्रार्थीया के प[illegible]न यापन के लिए कोई साधन नही है और न ही रहने के लिए मकान है। यह कि प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक है वृद्धावस्था के कारण प्रार्थीया अप्रार्थी का सामना करने में असमर्थ है। प्रार्थीया के आय का कोई साधन नही है प्रार्थीया अक्सर बीमार रहती है, प्रार्थी को रिहायश के लिये उक्त मकान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आवश्यकता है।यह कि अप्रार्थी अपराधी प्रवृति का जिद्दी व्यक्ति है उसके द्वारा प्रार्थीया को बारबार अनायास ही परेशान किया जा रहा है तथा उसको तंग परेशान किया जा रहा है और ऐलानिया धमकिया देता है। यह कि अप्रार्थी व प्रार्थीया खेमका सती मंदिर वार्ड संख्या 28, चूरू तहसील व जिला चूरू के निवासीगण है। इस कारण प्रकरण श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। जो उचित न्याय शुल्क 2/– रूपये पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में जैरकार नही है। अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जायेंगे।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नीचे लिखे अनुसार अनुतोष दिलवाया जावें।

(क) अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थीया के मकान को खाली करवाकर प्रार्थीया को रिहायश करने के लिए उसका मकान दिलवाया जावे।

(ख) प्रार्थीया के घर से अप्रार्थी को बेदखल कर उक्त घर में प्रार्थीया की अनुमति सहमति के बिना प्रवेश नही करे।

(ग) यह कि अन्य अनुतोष जो हितकर प्रार्थीया हो या दौराने सुनवाई हो जावे वो भी प्रार्थीया को अप्रार्थी से दिलवाया जावें।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा गया। तत्पश्चात् आगामी पेशी पर अप्रार्थी ने जवाब मय सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थिनी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में प्रारम्भिक आपत्तियां व्यक्त करते हुए अंकित किया कि अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में धारा 2 (घ) में अभिभावक शब्द से तात्पर्य पिता या माता अभिप्रेत है चाहे जैविकीय, दत्तक ग्रहण या सौतेला पिता या सौतेली माता यथा स्थिति हो चाहे माता या पिता वरिष्ठ नागरिक हों या नहीं व इसी प्रकार धारा 2 (क) में परिभाषित सन्तान में पुत्र, पुत्री, पोता/नाती और पोती/नातिन शामिल होते है लेकिन अवयस्क शामिल नहीं होता है व धारा 2 (ख) में भरण पोषण में भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सीय सुविधा और उपचार के लिए प्रावधान शामिल होता है व नातेदार शब्द से तात्पर्य सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई भी विधिक उत्तराधिकारी अभिप्रेत है जो अवयस्क नहीं हो और उसके अधिपत्य में हो या उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति का दाय प्राप्त करेगा व धारा (ट) में कल्याण से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक भोजन, स्वास्थ्य, देखरेख, भोजन, मनोरंजन, केन्द्रो और अन्य सुख सुविधाओं के लिए प्रावधान अभिप्रेत है, इस कथन अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित सन्तान शब्द में प्रार्थिनी के पुत्र, पुत्रियां न होकर अप्रार्थी दामाद है इस कारण इस अधिनियम की परिधि में नहीं आने व प्रार्थीया के पुत्र जिनमें बड़ा पुत्र राजकुमार जो बम्बई में बड़ा व्यवसाय करता है व छोटा पुत्र मनोज कुमार जो जयपुर में व्यवसाय करता है तथा प्रार्थिया उनके पास बम्बई व जयपुर निवासरत होने व चूरू निवास नहीं करने तथा प्रार्थिया स्वयं उनके पति स्व. सांवरमल सैन सेवानिवृत पी.एच.ई.डी. कार्मिक होने से पेन्शनधारी है तथा प्रार्थिया के दावाकृत मकान के अलावा चूरू में अन्य मकान सुसज्जित सुस्थापित होने तथा बोम्बे व जयपुर में आवास होने के कारण मात्र रंजिशवश गलत प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा मृत पुत्री के पति अप्रार्थी दामाद के विरूद्ध लाया होने से खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी किसी भी सुख में प्रार्थिया के उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने का दायी नहीं होने से प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है व ना ही अधिनियम में कहीं परिभाषित है। मात्र अधिनियम का दुरूपयोग है [illegible]ने मदवार जवाब में अंकित किया कि मद सं. 1 जिस ढंग से लिखी गई है [illegible] लिखी गई है। प्रार्थिया के 2 पुत्र सन्तान राजकुमार व मनोजकुमार हैं [illegible] हैं तथा जयपुर व बॉम्बे में वैल सैटल्ड हैं। इस कारण एवं प्रार्थिया के पति स्व. सांवरमल PHED से सेवानिवृत्त कार्मिक हैं जिनकी पेन्शन प्रार्थिया को प्राप्त हो रही है बॉम्बे निवास [illegible]रने व बिल्कुल हृष्टपुष्ट व तन्दुरूस्त होने व प्रार्थिया के बड़ा मकान वादगत मकान के पास होने व अप्रार्थी का विवाह प्रार्थिनी की पुत्री पूजा के साथ वर्ष 2002 में होने व पूजा के विवाह में मकान पूजा को उपहार किये होने व बाद विवाह पूजा व अप्रार्थी उक्त मकान को अपने पैसे से निर्माण करवा कर आवास करने व अचानक पूजा बीमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

होकर वर्ष 2009 की 25 नवम्बर को देहान्त हो जाने के पश्चात् मात्र अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया की सहमति से करने के बावजूद प्रार्थिया अपने पुत्रों के कहने से अप्रार्थी से उक्त मकान नाराजगीवश खाली करवाने पर आमादा होकर गलत प्रार्थना पत्र लगाया गया है जिसमें अपने बड़े परिवार का बंटवारानामा दर्शा कर अदालत की संवेदना अपने पक्ष में करने की गरज से इस मद में गलत इबारत अंकित की गई है जो खारिज योग्य है। मद सं. 2 व 3 जिस ढंग से अंकित की गई हैं जो गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थिया के दो पुत्र व एक पुत्री होने व अप्रार्थी दामाद होने व अप्रार्थी को मकान पूजा के विाह में दिया होने व वर्ष 2009 में पूजा को देहान्त होने के अलावा तथ्य अपने प्रार्थना पत्र को रगत देने के उद्देश्य से गलत अंकित की गई होने से अस्वीकार हैं। मद सं. 4 के तथ्य अस्वीकार हैं। प्रार्थिया द्वारा मकान खाली करने के नीयत से झूठा दर्ज करवाया गया है। मद सं. 5 झूठी व निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया दो योग्य पुत्रों की माता है व राजकीय पेन्शन प्राप्त है। मद सं. 6 गलत अंकित की है। प्रार्थिया सेवानिवृत्ति की पेन्शन प्राप्त कर रही है तथा वादगत मकान के पास बड़ा मकान व बॉम्बे व जयपुर में भी प्लॉट हैं एवं एकदम स्वस्थ होने से स्वयमेव गलत है। मद सं. 7 जिस ढंग से अंकित की गई है निराधार है जबकि सही तथ्य यह है कि प्रार्थिया द्वारा उक्त मकान खाली करवाने का एक प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करवाने बाबत दिनांक 23.07.2019 को पुलिस अधीक्षक चूरू व थानाधिकारी, चूरू को दिया जिसमें अपना निवास प्लॉट सं. 113 व 114 फ्लैट नं. जी–4 विराट रेजीडेन्सी, बाल विहार हनुमान पथ, झोटवाड़ा, जयपुर में निवास करना अंकित करवाया है तथा अपनी उम्र 65 वर्ष होना बताई है तथा अप्रार्थी को दामाद होना व चूरू में उक्त मकान दिया होना, रहना व घर जंवाई बनाकर रखना अंकित करवाया है तथा एक पुत्र बम्बई व एक पुत्र जयपुर रहना बताया है। प्रार्थिया के पुत्रों के साथ जयपुर/बम्बई रहना अंकित किया है तथा दिनांक 25.11.09 को पुत्री का देहान्त होना बताया। उसके बाद रतनलाल अप्रार्थी से मकान खाली करने की कहने व अप्रार्थी रतनलाल द्वारा मकान खाली नहीं करने के कारण मुकदमा करने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पुलिस थाना, कोतवाली चूरू की जांच में स्पष्ट आया है कि विमला के बयान भी हैं कि पुत्री का देहान्त हो गया इस कारण रतनलाल अब गिफ्ट के मकान में कुछ नहीं मांगता है इसलिए मकान खाली करवाना चाहती हूं। इसी प्रकार प्रार्थिया के पुत्र मनोजकुमार जो जयपुर रहता है, के द्वारा भी अपनी मां को साथ रखना व बहिन के मर जाने पर गिफ्ट मकान बहनोई से वापिस लेने के तथ्य अंकित करवाये हैं तथा मकान बाबत कब्जा अप्रार्थी का होना बताकर व मकान बाबत पक्षकारान में तनाजा मानकर इस्तगासा सरकार बनाम विमला वगैरह नं.मु. 517/19 अदालत एस.डी.एम. चूरू में पेश हुआ जो वर्तमान में जेरकार है। इस कारण उक्त मद गलत है जो चलने काबिल नहीं है। मद सं. 8 गलत अंकित होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया जयपुर रहने व 3–4 जगह मकान होने, मात्र मकान हड़पने व अप्रार्थी नातेदार मुताबिक अधिनियम नहीं होने से प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है। मद सं. 9 गलत लिखी गई होने से अस्वीकार है। इस बाबत प्रकरण 517/19 सरकार बनाम विमला वगैरह न्यायालय एस. डी.एम. चूरू में जेरकार है इस कारण प्रकरण एक साथ दो जगह कानूनन नहीं चल सकता है खारिज योग्य है। अन्तिम बिना नम्बरी अनुतोष मद क, ख, ग जो कि कानूनन अंकित नहीं होने से अस्वीकार है व गलत लिखी गई होने से खारिज योग्य है।

अप्रार्थी ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थिया का एकमात्र उद्देश्य अपनी पुत्री पूजा को विाह में उपहार स्वरूप दिया मकान जिसका माप 13 गुणा 39 फीट है, जिसमें पूजा व उसके पति अप्रार्थी रतनलाल द्वारा उक्त खाली भूखण्ड में अपने पैसे लगाकर वर्ष 2009 में मकान बनाने व उक्त भूखण्ड में वर्ष 2009 से बाद शादी पूजा गिफ्ट में होने के कारण मकान में आबाद हो गये व कच्चे मकानों की जगह पूरे में निर्माण पक्का करवा लिया व प्रार्थिनी अपने पुत्रों के साथ जयपुर में आबाद थी तथा कभी कभार 1–2 बार चूरू आते तो उनके पास खुद का अलग मकान था इस कारण कोई दिक्कत नहीं थी। वैश्विासिक सम्बन्धों के चलते गिफ्ट डीड करवाने की कहने पर कहा ... बुजुर्गो व परिवार का शामलाती है उसका विधिवत विभाजन होने पर पूजा व ... नाम करवा देंगे तथा सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रार्थी पूजा के साथ आबाद था। प्रार्थिश व ...का परिवार जयपुर आबाद था पूजा के 2 सन्तान हुई जो दोनों होते ही स्वर्गवास हो गई। उसके बाद पूजा बीमार रहने लग गई। अप्रार्थी द्वारा पूजा की सेवा सुश्रुषा में कोई कमी नहीं रखी गई उसके बावजूद पूजा दिनांक 25.11.2009 को स्वर्गवास हो गई जो कि प्रार्थिया की एकमात्र पुत्री थी उसके बाद अप्रार्थी जो कि चूरू में अपनी मजदूरी कर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:34:22 IST
Reason: SelfAttested

पेट पाल रहा था कि प्रार्थिया व उसके पुत्रों द्वारा अप्रार्थी की दूसरी शादी वर्ष 2012 में करवा दी गई थी। अप्रार्थी नई गृहस्थी में आबाद था जिसमें अप्रार्थी के 2 पुत्री सन्तान हैं लेकिन अब प्रार्थिया व उसके पुत्रों के मन में लालच आ जाने व कीमतें बढ़ने से पहले तो एक गलत मुकदमा 5179/19 जो एस.डी.एम. कोर्ट चूरू में चल रहा है, किया गया, उसके बाद एक एफ.आई.आर. नं. 389/19 पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में दर्ज करवाई गई वो भी झूठी होने के कारण उसमें कोई कार्यवाही अप्रार्थी के सत्य बताने के कारण नहीं होती दिखने पर दवाब बनाने की नीयत से यह झूठा मुकदमा अप्रार्थी के गिफ्ट डीड करवाने की कहने पर गलत करवाया गया है जो कि निराधार है व खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज योग्य है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में दो शपथ पत्र पेश किये जिनमें से स्वयं के शपथ पत्र में सशपथ अंकित किया कि अप्रार्थी रतनलाल विमलादेवी का पुत्र नहीं है बल्कि दामाद है और विगत काफी वर्षों से प्रार्थिया की सहमति व रजामन्दी से मकान वार्ड सं. 28 प्रार्थिया को जरिये रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 04.10.2017 के द्वारा मिला हुआ है जिसके सम्बन्ध में एक विभाजन पत्र प्रार्थिया व उसके पुत्रों के मध्य हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का विभाजन करते हुए निष्पादित हुआ। प्रार्थिया के पति जो सरकारी सेवा में थे, उनकी मृत्यु के बाद पेन्शन प्राप्त कर रही है। वह चूरू में निवास नहीं कर रही बल्कि जयपुर में अपने पुत्र मनोजकुमार के पास रहती है। प्रार्थिया ने अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए अपने पुत्रों राजकुमार व मनोजकुमार के विरूद्ध भरण–पोषण का प्रकरण दायर नहीं किया है जबकि प्रार्थिया के पास अपने भरण पोषण के पर्याप्त स्रोत हैं। प्रार्थिया की पुत्री जो कि मुझ मीकर की पत्नी थी, के स्वर्गवास के बाद मीकर का विवाह अनुष्ठापित करवाया था। अब प्रार्थिया के मन में लालच आ गया है एवं कानून की आड़ में वह मीकर के विरूद्ध भरण पोषण हेतु अपना दावा व अधिकार जता रही है, जबकि विगत तीन वर्षों से अपने पुत्र मनोजकुमार के पास स्वेच्छा से हर प्रकार से साधन सम्पन्न जीवन यापन कर रही है। मीकर एक मजदूर पेशा व्यक्ति है, मजदूरी से उसे 6–7 हजार रूपये महीना की आमदनी हो जाती है, इसके अलावा उसके पास आय का कोई समुचित जरिया नहीं है। मीकर की दो पुत्रियों का जन्म भी इसी वादग्रस्त मकान में हुआ है दोनों बच्चियों के भरण–पोषण का भार भी मीकर पर है। प्रार्थिया के पास फैमिली पेन्शन 25000 रूपया के लगभग उसके बैंक खाते में आती है और वह जयपुर में निवास करती है। प्रार्थिया का बड़ा पुत्र मुम्बई रहता है वहां से उसे 10–12 हजार रूपया आ जाता है। वर्तमान प्रार्थना पत्र में महज मकान से बेदखली करवाने के उद्देश्य प्रार्थिया रखे हुए है। विधि विरू0 तरीके से मीकर को बेदखल करने पर उतारू है। मीकर ने मकान के निर्माण में करीब दो–ढाई लाख रूपये कमरों के निर्माण तथा मकान की साज–सज्जा बनाये रखने के लिए प्रार्थिया के कहने पर खर्च किये थे। अब जब मकान की साज सज्जा एवं बनावट बाहरी रूप से ठीक हो गई और मकान की अच्छी कीमत हो गई तो प्रार्थिया मीकर को जबरन बेदखल करना चाहती है। मीकर का दायित्व किसी भी तरह से प्रार्थिया को भरण–पोषण अदा करने कतई नहीं बनता। बिजली का कनेक्शन मीकर के नाम से है जिसका बिल भी मीकर अदा करता रहा है। दूसरा शपथ पत्र मुरारीलाल पुत्र भगवानाराम जाति नाई उम्र 70 वर्ष निवासी पुरानी बाड़ी वार्ड नं. 4 गंगानगर हाल वार्ड नं. 36 चूरू द्वारा पेश किया है जिसमें सशपथ अंकित किया है कि विमलादेवी द्वारा अपनी पुत्री पूजा की शादी में दिये गये उपहार स्वरूप भूखण्ड जो कस्बा चूरू के वार्ड नं. 36 में स्थित है, में शादी के पश्चात् से पूजा के साथ व पूजा की मृत्यु के बाद अपनी पत्नी व बच्चों सहित लगभग 20 वर्षों से लगातार रिहायश कर रहा है। रतनलाल जो कि मेरा पुत्र है, से मैं अपने भरण–पोषण की मांग कानूनन प्राप्त करने का [illegible] विमलादेवी। रतनलाल प्रार्थिया का पुत्र नहीं होकर नातेदार अर्थात् जंवाई है। प्रार्थि[illegible] सांवरमल पी.एच.ई.डी. में कार्यरत होकर सेवानिवृत्त हो गये जिनकी मृत्यु [illegible] विमलादेवी प्राप्त करती है। प्रार्थिया जो मेरे पुत्र की सास [illegible] को मात्र तंग व परेशान करने की नीयत से गलत मुकदमा व यह प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं रतनलाल से उक्त उपहार स्वरूप मकानात हड़पने की नीयत से पेश किया है। कई अन्य झू[illegible] मुकदमात गलत व मिथ्या अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा लाये गये हैं जबकि वह चूरू में रिहायश नहीं कर जयपुर व मुम्बई में पुत्रों के साथ निवास करती है, चूरू में निवास करना गलत गताया गया है। प्रार्थिया के कई प्रॉपर्टी व भूखण्ड हैं एवं हृष्ट–पुष्ट व लालची महिला है जो कि शान–शौकत की जिन्दगी बसर करती है। प्रार्थिया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पुत्र राजकुमार बम्बई में फिल्मी स्टार के साथ काम करता है, के साथ प्रार्थिया की जान पहचान व आना जाना है। प्रार्थिया के चूरू, जयपुर व बम्बई में कई प्लॉट व जयपुर में आलीशान कोठी है। अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र मात्र उपहार स्वरूप दिये गये मकान को हड़पने की नीयत से मिथ्या व गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है, ना ही कानूनन विमलादेवी अप्रार्थी से भरण–पोषण प्राप्त करने अधिकारिणी है। प्रार्थिया जयपुर व बम्बई रिहायश करने के कारण भी माननीय अदालतवाला के सुनवाई अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र मात्र गलत आधारों पर भूखण्ड हड़पने की नीयत से लाया गया है, जो कि खारिज योग्य है।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कतिपय शपथ पेश किये हैं जिनमें से महावीरप्रसाद पुत्र कालूराम जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 36, चूरू, राजेन्द्रकुमार पुत्र इन्द्रचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 39, चूरू, रामचन्द्र राठी पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, चूरू के शपथ पत्रों में अंकित किया है कि विमलादेवी पत्नी स्व. सांवरमल सैन जाति नाई का वार्ड नं. 28 में स्वयं का मकान बनवाया हुआ है। उक्त मकान का निर्माण विमलादेवी के पुत्र राजकुमार सैन व मनोजकुमार सैन के बताये गये अनुसार करवाया गया है। उक्त मकान की लागत में जो भी खर्चा हुआ वह सम्पूर्ण खर्चा राजकुमार व मनोजकुमार के माध्यम से ही लगा हुआ है। उक्त मकान विमलादेवी व उसके पुत्रों ने स्वयं के रहने के लिए बनवाया है। इस मकान पर रतनलाल पुत्र मुरारीलाल का कोई भी मालिकाना हक नहीं है और ना ही यह मकान रतनलाल द्वारा बनावाया गया है। मकान व जगह विमलादेवी द्वारा अपनी पुत्री पूजा की शादी में नहीं दी गई थी। ना तो जगह दी गई थी और ना ही मकान दिया गया था। जिस जमीन पर मकान बना हुआ है वह उनकी पुश्तैनी जमीन है व जमीन की रजिस्ट्री व कागजात विमलादेवी पत्नी स्व. सांवरमल सैन के नाम पर ही है। राधेश्याम पुत्र लूणाराम जांगिड़, प्रताप पुत्र चतुर्भुज जाति सोनी, कमलकुमार पुत्र बजरंगलाल जाति सैनी निवासीगण वार्ड नं. 36, चूरू, चम्पालाल शर्मा पुत्र घनश्यामदास जाति शर्मा नि. वार्ड नं. 34, चूरू एवं मातादीन पुत्र बृजलाल जाति नाई निवासी वार्ड नं. 36, चूरू की ओर से पेश शपथ पत्रों में अंकित किया है कि उक्त मकान विमलादेवी द्वारा बनवाया हुआ है। उक्त मकान में विमलादेवी ने अपनी पुत्री पूजा को ससुरालवालों द्वारा तंग व परेशान करने के कारण अपने पास रख लिया फिर उक्त मकान में पूजा व उसका पति रतनलाल विमला के साथ रहने लगे। वर्ष 2009 में विमलादेवी की पुत्री पुजा का निधन हो गया तो विमलादेवी ने रतनलाल को मकान खाली करने को कहा तो रतनलाल ने कहा कि जब तक अपने मकान की व्यवस्था नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे इसी मकान में रहने दीजिए जिसको विमलादेवी ने रतनलाल को रहने के लिए दे दिया। उक्त मकान विमलादेवी व उसके पुत्रों ने रहने के लिए बनवाया है जिस मकान पर रतनलाल पुत्र मुरारीलाल का कोई हक नहीं है और न ही उक्त मकान रतनलाल द्वारा बनवाया गया है। यह मकान विमलादेवी ने बनाया है तथा दहेज में मकान जगह नहीं दी गई है।

अप्रार्थी का जवाब पेश होने पर पत्रावली बहस में नियत की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थिनी की ओर से बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थी जिस जमीन व मकान में निवास कर रहा है वह जमीन हमारी पुश्तैनी हिस्से में आई हुई है। उक्त जमीन में मैंने अपनी बेटी व जंवाई को कमरा बनाकर दे दिया। मैंने अपनी पुत्री की शादी अप्रार्थी के साथ सन् 2002 में की थी। शादी के बाद बेटी जंवाई 2007 तक झुन्झुनू रहे थे जबकि अप्रार्थी कह रहा है कि इस मकान में 20 साल से रह रहे हैं। उक्त मकान का निर्माण 2009 में हुआ है जो प्रार्थिया ने बना कर दिया है। अप्रार्थी ने इस मकान में [illegible] कनेक्शन लेने का प्रयास किया। वर्ष 2009 में मेरी पुत्री का स्वर्गवास हो गया तब [illegible] मकान खाली करने को कहा तो अप्रार्थी ने मना कर दिया जिस पर प्रार्थिया [illegible] का प्रार्थना पत्र दिया। मैंने अप्रार्थी को उक्त जमीन व मकान गिफ्ट में नहीं दिया सिर्फ रहने के लिए दिया था। भरण पोषण अधिनियम की अध्याय 5 में वरिष्ठ नागरिकों के मकान से बेदखल करने का प्रावधान अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मेरी जमीन व मकान से बेदखल करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि अप्रार्थी की शादी वर्ष 2002 में प्रार्थिया की पुत्री पूजा से हुई थी। शादी के समय प्रार्थिया ने यह जमीन अपनी पुत्री को गिफ्ट में दे दी जिस पर अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नी ने अपने पैसे से रहने के लिये पक्के मकान बना लिए। उक्त सम्पत्ति प्रार्थिया ने स्नेह के कारण अपनी पुत्री को दी थी। प्रार्थिया पी.एच.ई.डी. के सेवानिवृत्त कार्मिक स्व. सांवरमल की पत्नी होने से पेन्शनधारी है जिसको पर्याप्त पेन्शन मिलती है। प्रार्थिया के दो पुत्र हैं जो जयपुर व बॉम्बे में मकान बना कर निवास करते हैं। प्रार्थिया इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मकान खाली करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में मेरी कानूनी आपत्ति यह है कि यह भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों यह प्रार्थना पत्र कवर नहीं होता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अप्रार्थी उनका बेटा या बेटी नहीं है, दामाद है। यदि इनको मकान खाली करवाकर बेदखल करवाना है तो सिविल कोर्ट में जायें। इस प्रकार यह प्रार्थना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् एवं जवाब मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थना पत्र में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रार्थिनी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस अधिनियम के तहत कवर होता है क्या ? प्रार्थिनी का मुख्य अनुतोष है कि मकान खाली करवाया जावे एवं अप्रार्थी को बेदखल किया जावे। इस बिन्दु का निर्णय करने के लिये धारा 23 का उल्लेख किया जाना उचित होगा जिसमें अंकित आया कि **सम्पत्ति का अन्तरण अमुक परिस्थितियों में व्यर्थ होना** – (1) जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पत्ति किसी ऐसी शर्त के अनुसार अंतरित की हो कि अन्तरणी अन्तरक को मूल सुख–सुविधाएं और भौतिक आश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरणी ऐसी सुख–सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने में असफल होता है या मना कर देता है, तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जायेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी यह कहीं भी साबित नहीं कर पाई कि प्रश्नगत जमीन व मकान अप्रार्थी को सशर्त दिया गया था। प्रार्थना पत्र में यह भी साबित नहीं हो पाया कि यह आवेदन भरण पोषण से सम्बन्धित है। प्रार्थिनी के दो पुत्र हैं जो प्रार्थिनी का भरण पोषण कर रहे हैं तथा प्रार्थिनी स्वयं पेन्शन धारक है जिसका सीधा अर्थ है कि भरण पोषण में कोई समस्या नहीं है। यहां यह भी उल्लेखित करना उचित होगा कि प्रश्नगत जमीन व मकान के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही हुई है। प्रार्थिनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने इस बाबत शिकायत एस.पी. साहब चूरू को की थी। पुलिस की रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला सम्पत्ति विवाद का है। प्रार्थिया द्वारा मकान खाली करवाने हेतु माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। भरण पोषण अधिनियम का मूल मकसद व मन्शा माता–पिता, बुजुर्ग, असहाय व्यक्तियों के हक अधिकारों की रक्षा करना एवं उनकी सहायता करना रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी के पुत्र व्यवसाय करते हैं एवं प्रार्थिनी पेन्शनधारी है तथा अपने पुत्रों के साथ निवास करती है अर्थात् प्रार्थिनी के भरण पोषण में कोई समस्या नहीं है। प्रार्थिनी ने प्रश्नगत जमीन व मकान सशर्त ना देकर स्वयं अप्रार्थी को रहने के लिए दिया है तथा प्रार्थिनी का स्वयं एक अन्य मकान [illegible] में बना हुआ है जिसका अर्थ है कि प्रार्थिनी को चूरू में रहने सम्बन्धी भी कोई [illegible] नहीं है। [illegible] विस्तृत परीक्षण, दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर [illegible] होता है कि प्रार्थिनी व अप्रार्थी के मध्य मूल विवाद सम्पत्ति के कब्जे को लेकर है। विमलादेवी उक्त अधिनियम का सहारा लेकर अप्रार्थी को बेदखल करवा कर मकान खाली करवाना चाहती है। प्रार्थिनी द्वारा इस प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष दिये जाने में यह न्यायालय सक्षम नहीं है। उक्त अनुतोष हेतु प्रार्थिनी सक्षम न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कार्यवाही करे। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों में कवर नहीं होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत कवर नहीं होने एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:22 IST
Reason: SelfAttested